बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–04–10/2024(स्वा0)........................../ पटना, दिनांकः–....................................

सिविल सर्जन, गया के पत्रांक–1995 दिनांक–29.07.2024 द्वारा डा0 मृत्युजंय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलागंज, गया के विरूद्ध दिनांक–29.07.2024 को मासिक समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित नहीं होने, दिल्ली में रहकर पी0जी0 की तैयारी करते हुए अनुपस्थिति अवधि का उपस्थिति दर्ज कर वेतन की निकासी करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. विभागीय ज्ञापन सं0–135(9) दिनांक–10.02.2025 द्वारा डा0 कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में आरोप पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी।

3. डा0 कुमार द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित कर अवगत कराया गया है कि वे वर्ष 2021 से संस्थान मे आवसित रहकर नियमित रूप से कर्त्तव्य का निर्वहन करते हैं। उनके द्वारा सिविल सर्जन, गया को दिनांक–29.07.2024 को L4-L5 में असहनीय दर्द होने के कारण चलने–फिरने मे असमर्थता की सूचना दिया गया था। उक्त तिथि को OPD का कार्य करने की अनुमति की मॉग की गयी थी। संस्थागत कर्मी द्वारा अभिकथित किया गया है कि डॉ0 मृत्युजय नियमित रूप से कर्त्तव्य पर उपस्थित रहें हैं। माननीय मंत्री महोदय द्वारा सितम्बर 2024 में सबसे ज्यादा OPD मे मरीज देखने के लिए पुरस्कृत किया गया है। तत्कालीन सिविल सर्जन, गया द्वारा संस्थान का स्थलीय निरीक्षण नही किया गया है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र एवं प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि डा0 कुमार द्वारा दिनांक–23.07.2024 को टीकाकारण में उपस्थित रहने का साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। उनके द्वारा श्रावणी मेले मे चिकित्सीय कार्य हेतु चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मी को प्रतिनियुक्ति किया गया। चिकित्सीय व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु कार्यालय निदेश निर्गत किया गया। उनके द्वारा न्यायालय एवं पुलिस पदाधिकारी के समक्ष चिकित्सीय साक्ष्य हेतु उपस्थित रहने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। रीढ में दर्द होने का चिकित्सीय पर्ची प्रस्तुत किया गया है।

5. फलत डा0 मृत्युंजय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलागंज, गया के विरूद्ध दिनांक–29.07.2024 को समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित नहीं होने, दिल्ली में रहकर पी०जी० की तैयारी करने एवं अनुस्थिति अवधि का वेतन निकासी करने के आरोप से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया।

6. अतएव डा0 मृत्युंजय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलागज, गया के विरूद्ध दिनांक–29.07.2024 को समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित नहीं होने, दिल्ली में रहकर पी०जी० की तैयारी करने एवं अनुस्थिति अवधि का वेतन निकासी करने के आरोप से मुक्त किया जाता है।

7. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–02–33/2024(स्वा0).......794(9)....... **/पटना, दिनांकः–**....17.7.25.........

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

17/07/2025

(15)

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डा0 मृत्युजंय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलागंज, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-
17/07/2025
सरकार के अवर सचिव।